न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 144 / 2010 (2010 / 00023) वाद पत्र

उनवान

1—हेमराज आत्मज हीरालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जीतमल आत्मज हीरालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—किशन आत्मज हीरालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1—कन्हैयालाल आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—लादुलाल आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—बाबुलाल आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—किरण कुमार आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—महेन्द्र कुमार आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—प्यारी बाई पत्नि नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—बसन्ता बाई पुत्री नेमीचन्द बापना पत्नि सम्पतलाल सिंधवी नि.रूद त.राशमी जि. चितौड़गढ
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 03.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 08.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के आराजी नम्बर 1941 रकबा 0.04 हे0 गै0मु0 आहता चाह, आराजी संख्या 1942 रकबा 0.04 हे0 गै0मु0 टयूबवेल, 1943 रकबा 2.43 हे0, 1944 रकबा 2. 52 हे0, 2101 रकबा 1.22 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.25 हे0 स्थित है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जे अनुसार 1/2, 1/2 हिस्सा तथा आराजी संख्या 1942 रकबा 0.04 हे0 गै0मु0 टयूबवेल को प्रतिवादीगण के नाम तथा आराजी नम्बर 1941 रकबा 0.04 हे0 गै0मु0 आ.चाह को सामलाती रखते हुए स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने की प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 18.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया। इसके साथ ही तहसीलदार रायपुर द्वारा एक अलग से रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अंकित किया कि ग्राम झड़ोल के खसरा नम्बर 1943 का रकबा राजस्व जमाबन्दी मे 2.43 है0 है जबकि राजस्व नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 1943 की आकृति का रकबा बरारी करने पर 2.43 के बजाय 3.50 है0 बनता है जो जमाबन्दी के मुकाबले 1.07 है0 रकबा राजस्व नक्शे में बेसी है ओर इसी तरह खसरा नम्बर 1944 का रकबा जमाबन्दी में 2.52 है0 दर्ज रेकार्ड है जबकि नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 1944 का रकबा बरारी करने पर 1.45 है0 रकबा ही बनता है जो 1.07 है0 रकबा कम है इस प्रकार भू प्रबन्ध

विभाग के दौरान खसरा नम्बर 1943 एवं 1944 के मध्य की लाईन खीचते समय सेवन से त्रुटि हो गई जिससे पहले राजस्व नक्शे उक्त दोनो खसरा नम्बरान का नक्शा सही होने पर अग्रिम बंटवाड़ा की कार्यवाही प्रस्तावित है प्रस्तावित बंटवाड़ा में राजस्व जमाबन्दी के अनुसार दर्ज खसरा नम्बरान के रकबे को आधार मानते हुए ही नक्शा ट्रेस प्रस्तावित करते हुए फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया है। और वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया।

उपरोक्त विवरण अनुसार तहसीलदार रायपुर से नक्शा शुद्वि के सम्बन्ध प्राप्त रिपोर्ट रेकार्ड ओर नक्शे का अवलोकन किया वास्तव में खसरा नम्बर 1943 एवं 1944 के राजस्व जमाबन्दी के अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज उक्त खसरा नम्बरान के रकबे में तफावत है जिससे दुरस्त किया जाने का आदेश करते हुए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार रायपुर से प्राप्त राजस्व जमाबन्दी ओर नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 1943 ओर 1944 के रकबे में हुई तफावत को दुरस्त करते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 1943 के स्थित नक्शे के बजाय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस जिसमें A B C D मार्क किया गया है इसी तरह खसरा नम्बर 1944 के भी राजस्व नक्शे में अकिंत आकृति के बजाय प्रस्तावित राजस्व नक्शे में अंकित A B C D की सीमाओं को सही माना जावे तथा इस सीमा के मध्य मार्क E से F खिचीं हुई लाईन को विलोपित करते हुए A B C D मे स्थित आकृति अनुसार रकबा माना जाकर इसी अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती का आदेश देते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 1944 / 3 रकबा 1.89 है0, आराजी संख्या 2101 रकबा 1.22 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.11 है0 भूमि हेमराज, जीतमल, किशनलाल पिता हीरालाल जाट सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1942 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1943 रकबा 2.43 है0, आराजी संख्या 1944 / 1 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1944 / 2 रकबा 0.46 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 3.10 है0 भूमि कन्हैयालाल, लादुलाल, बाबुलाल, किरणकुमार, महेन्द्रकुमार पिता नेमीचन्द, बसन्ताबाई पुत्री नेमीचन्द, प्यारबाई बेवा नेमीचन्द महाजन सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1941 रकबा 0.04 है0 गेमुआचा, सामलाती खाता बदस्तुर रखकर रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 144/2010 (2010/00023) वाद पत्र

अनवान

1–हेमराज आत्मज हीरालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–जीतमल आत्मज हीरालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–किशन आत्मज हीरालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1–कन्हैयालाल आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–लादुलाल आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–बाबुलाल आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–किरण कुमार आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–महेन्द्र कुमार आत्मज नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–प्यारी बाई पत्नि नेमीचन्द बापना निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–बसन्ता बाई पुत्री नेमीचन्द बापना पत्नि सम्पतलाल सिंधवी नि.रूद त.राशमी जि. चितौड़गढ
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी तहसीलदार रायपुर से प्राप्त राजस्व जमाबन्दी ओर नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 1943 ओर 1944 के रकबे में हुई तफावत को दुरस्त करते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 1943 के स्थित नक्शे के बजाय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस जिसमें A B C D मार्क किया गया है इसी तरह खसरा नम्बर 1944 के भी राजस्व नक्शे में अकिंत आकृति के बजाय प्रस्तावित राजस्व नक्शे में अकित A B C D की सीमाओं को सही माना जावे तथा इस सीमा के मध्य मार्क E से F खिचीं हुई लाईन को विलोपित करते हुए A B C D मे स्थित आकृति अनुसार रकबा माना जाकर इसी अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती का आदेश देते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 1944/3 रकबा 1.89 है0, आराजी संख्या 2101 रकबा 1.22 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.11 है0 भूमि हेमराज, जीतमल, किशनलाल पिता हीरालाल जाट सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1942 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1943 रकबा 2.43 है0, आराजी संख्या 1944/1 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1944/2 रकबा 0.46 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 3.10 है0 भूमि कन्हैयालाल, लादुलाल, बाबुलाल, किरणकुमार, महेन्द्रकुमार पिता नेमीचन्द, बसन्ताबाई पुत्री नेमीचन्द, प्यारबाई बेवा नेमीचन्द महाजन सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1941 रकबा 0.04 है0 गेमुआचा, सामलाती खाता बदस्तुर रखकर रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:32:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: